

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3370]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2019/आश्विन 22, 1941

No. 3370] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2019/ASVINA 22, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3705(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित और अधिसूचित संबंधित पदों के भर्ती नियमों में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, उक्त अधिनियम की धारा 418 की उपधारा (1) (इसके पश्चात् उक्त उपखंड कहा जाएगा) के अधीन उक्त उप-खंड में संदर्भित अधिकरण और अपीलीय अधिकरण के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का प्रावधान करने के लिए उक्त अधिकरण और अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सभापित, जैसा भी मामला हो, को अपनी शक्तियां और कार्य प्रत्यायोजित करती है।

[फा. सं. ए-12018/02/2017-प्रशा.-IV/भाग]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2019

S.O. 3705(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby delegates its powers and functions under sub-section (1) of section 418 of the said Act (hereinafter referred to as the said sub-section) to provide officers and other employees to the Tribunal and the Appellate Tribunal referred to in the said sub-section to the President and Chairperson of the said Tribunal and the Appellate Tribunal, as the case may be, subject to conditions as specified in the recruitment rules of the respective posts as approved and notified by the Central Government.

[F. No. A-12018/02/2017- Ad-IV/P]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

5354 GI/2019